

धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने पर आजीवन कारावास

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से सभी धार्मिक ग्रंथों का अपमान करने के खिलाफ आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान करने के लिये भारतीय दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता में संशोधन हेतु विधायक पारित कर दिया है।

प्रमुख बंदि

- भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) विधायक, 2018 के तहत धारा 295 AA को समाहति कथिा गया है।
- इसके अंतर्गत यद किसी वयक्ता द्वारा गुरु ग्रंथ साहब, श्रीमद्भगवद्गीता, पवतिर कुरान, पवतिर बाइबलि या अनूय किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जानबूझ कर कषति, नुकसान और आघात पहुँचाया जाता है जसिसे लोगों की धार्मिक भावना आहत होती है तो ऐसे वयक्ता को आजीवन कारावास की सज़ा से दंडति कथिा जाएगा।

नविारक कार्रवाई

- पंजाब सरकार ने राज्य में हाल के दनिों में घटति कुछ घटनाओं जसिमें पवतिर धार्मिक ग्रंथों को कषति पहुँचाकर राज्य की शांति और सांप्रदायिक सद्भाव को बगिड़ने का प्रयास कथिा गया, को देखकर यह कदम उठाया है।
- इस तरह पंजाब सरकार का यह कदम राज्य में शांति सहिष्णुता को कायम करने के मार्ग में एक नविारक कार्रवाई के रूप में है।